

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

वीरवल बनाम सरदार मल वगैरे

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्र.पत्र अस्थाई निषेध

सु.प्र. - 283/2023

31.01.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उभय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


31/01/23
(विलीप सिंह)
दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

